169

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा म0प्र0

R. 5424-दो/16

निगरानी प्रकरण क0-.....

शंकरलाल यादव तनय देवी प्रसाद यादव उम्र 48 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम क्योटी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

—आवेदक / निगरानीकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री आनंद मोहन मिश्रा द्वारा पेश / 24-9-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1— प्रेमनाथ मिश्रा तनय बालमीक मिश्रा उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम क्योटी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0

————रेस्पाडेण्टगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगॉव, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क0—23 अ12 / 2014—15 आदेश दिनांक 22.06.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित हैं :—

1— यह कि निगरानीकर्ता को गैरनिगरानीकर्ता / आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार निगरानीशुदा प्रकरण में नही बनाया था।

2— यह कि निगरानीकर्ता भूमि नं0—370 / 5 रकवा 0.97 एकड़ एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5424–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आनन्द मोहन मिश्रा द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 23/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.6.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, निगरानी के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष के अधिक से विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	